कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

पत्रांक – / जू0 हा0 स्कूल मान्यता / 3301-05 / 2018 – 19 दिनांक 28.6.18

प्रबन्धक,
रेनबो पब्लिक उच्च प्राइमरी स्कूल,
ग्राम असई पोस्ट बैरी सवाई, विकास खण्ड मैथा, कानपुर देहात।
द्वारा संचालित संस्था–
विषय – नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासनादेश स0 – 419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08–05–2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार तथा निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 के आधार पर रेनबो पब्लिक उच्च प्राइमरी स्कूल, ग्राम असई पोस्ट बैरी सवाई, विकास खण्ड मैथा, कानपुर देहात को 2018–19 हेतु कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिये अनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है–

1– विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाण पत्र / स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त अन्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।

2– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बद्धता करने के लिये

3– विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

4– विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रदान करेगा। और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

5– पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति ऐसी प्रतिभूतियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

6– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

7– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा –15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ख. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं करेगा।

ग. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया

ङ. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:सत्यता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

छ. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

ज. अध्यापक स्वंय किसी को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 – विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क्रम स0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	2960 वर्ग फुट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	2765 वर्ग फुट (दो मंजिल)
3	क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल	–
4	कक्षाओं की संख्या	10
5	प्राध्यापक – सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	03
6	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2 / 2
		सबमर्सिबल उपलब्ध है।
		उपलब्ध है।
		उपलब्ध है।